

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी- संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2025 / 165

सिविल प्रकरण संख्या:- 44 / 2025

तारीख रजू 11.07.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
.....आवेदक

बनाम

1. विनोद कुमार जोगी पुत्र श्री रामजीलाल जोगी (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स :- शिव मिष्ठान भण्डार, जस्टाना बाई पास, बिरसा मुण्डा सर्किल, जस्टाना, बौली सवाई माधोपुर निवासी:- कुम्हार मोहल्ला के पास, जोगी भवन, जस्टाना, बौली, सवाई माधोपुर 322030।
..... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) / 51 & 54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं
नियम 2011

निर्णय:-

दिनांक 28.04.2026

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नितेश गौतम खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत दिनांक 05.05.2025 को 01.30 पी.एम. पर मैसर्स शिव मिष्ठान भण्डार जस्टाना बाई पास, बिरसा मुण्डा सर्किल, जस्टाना, बौली सवाई माधोपुर पर पहुंचा वहां जो व्यक्ति मिला उसने अपना नाम विनोद कुमार जोगी पुत्र श्री रामजीलाल जोगी होना बताया। उक्त संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि संस्थान में रखे एक डिस्पले काउन्टर में एक स्टील की ट्रे में 8-10 किलोग्राम **Burfi (Prepared by Milk and Sugar)** आमजन को विक्रय हेतु रखी हुई थी। उक्त **Burfi (Prepared by Milk and Sugar)** में गुणवत्ता / मिलावट का अन्देशा होने पर वास्ते नमूना जांच 2 किलोग्राम खरीदकर उसकी कीमत 500/- रुपये विक्रेता विनोद कुमार जोगी को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान लालाराम एवं वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विनोद कुमार जोगी ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर




न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

किये। फार्म सं० 5ए की एक प्रति विक्रेता विनोद कुमार जोगी को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम **Burfi (Prepared by Milk and Sugar)** को हिला-मिलाकर एकरूप कर खाली स्टील के बर्तन में तुलवाकर खरीदकर विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा **Burfi (Prepared by Milk and Sugar)** को प्रत्येक बोतल में बराबर-बराबर कर 40-40 बूंदे फॉर्मेलिन की डालकर बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाइट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक **H-3741** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **H-3741** नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर् में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/863 दिनांक 04.06.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2307/एक्ट/2025/2347 दिनांक 21.05.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ Burfi (Prepared by Milk and Sugar), Sub Standard & the Sample is food containing Extraneous Matter (foreign fat) under section 3(1)(i) of Food Safety and Standard Act, 2006** होना पाया गया है।

आवेदक को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/952 दिनांक 10.07.2025 के द्वारा उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा **Sub Standard & the Sample is food containing Extraneous Matter (foreign fat), Burfi (Prepared by Milk and Sugar)** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं


न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii)का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त की ओर से श्री आनन्द सिंह एडवोकेट उपस्थित आए। वकील अभियुक्त द्वारा प्रकरण का जवाब पेश किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने **Sub Standard, Burfi (Prepared by Milk and Sugar)** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

वकील अभियुक्त ने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि अप्रार्थी विगत 6 माह से ही दुकान कर रहा है ऐसे में उसे नियम कानून कायदे का ज्यादा अनुभव नहीं है। प्रार्थी के घर में दूध का उत्पादन नहीं होता है ऐसे में अलग-अलग लोगों से दूध खरीदता है। प्रार्थी के पास दूध को चैक करने के संसाधन व उपकरण नहीं है। प्रार्थी के द्वारा प्रयोग में लिए गए दूध में जो अतिरिक्त वसा की मात्रा पायी जाती है जिसकी मात्रा 40 से 44 के बीच होनी चाहिए थी। उसकी मात्रा 45.2 पायी गयी है जिसका प्रार्थी से प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी के द्वारा किसी भी तरह की वनस्पति तेल या सस्ते फ़ैट को नहीं मिलाया गया है। प्रार्थी द्वारा जब्त सामान में 1.2 फ़ैट ज्यादा पाया गया है। अगर प्रार्थी किसी भी तरह की मिलावट करता है तो अपने ज्यादा फायदे के लालच में ज्यादा फ़ैट मिलाता है। इस मिलावट का प्रार्थी से परोक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं है। दूध में फ़ैट मापने वाला यंत्र लेक्टोमीटर व ब्यूटिरोमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक मापनयंत्र है जिनमें किसी खराबी या इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि की वजह से वसा की मात्रा कम या ज्यादा भी हो सकती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने 500/- रुपये की बर्फी खरीदकर जांच करनी बतायी है। उक्त रुपये अप्रार्थी को नहीं दिये गये व बर्फी सेम्पल के लिए मुफ्त में ली गई है। अन्त में वकील अभियुक्त द्वारा अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप फरमाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2307/एक्ट/2025/2347 दिनांक 21.05.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Burfi (Prepared by Milk and Sugar), Sub Standard & Extraneous Matter (foreign fat)** प्रकृति का होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार नमूने में B.R. Reading of extracted fat at 40.0° C result 45.2 आया है जोकि 40.0 to 44.0 होना चाहिए था। इस प्रकार जांच रिपोर्ट में B.R. Reading of extracted fat at 40.0° C of extracted fat यह दर्शाती है कि नमूने का मिल्क फ़ैट आंशिक रूप से foreign fat से प्रतिस्थापित किया गया है। foreign fat का मतलब आमतौर पर उस वसा या तेल से होता है जो खाद्य पदार्थ के प्राकृतिक वसा


49
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

का हिस्सा नहीं होता बल्कि उसे अलग से मिलाया जाता है। B.R. Reading of extracted fat at 40.0° C of extracted fat की रिपोर्ट के अनुसार मिल्क फेट निर्धारित मात्रा से अधिक आने के कारण नमूना **Sub Standard & Extraneous Matter** पाया गया है। अभियुक्त द्वारा उक्त नमूना जांच की पुनः रेफरेंस जांच भी नहीं करवाई गई है। जिससे प्रतीत होता है कि अभियुक्त मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्तगण द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ **Burfi (Prepared by Milk and Sugar)** का विक्रय एवं निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 20,000/-रु० (अक्षरे ~~बीस~~ हजार रुपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(संजय शर्मा)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर